



सत्यमेव जयते

पत्र सं० ३बी/यू०सी०पी०/०६/२३/२०२०/एफ०सी०/१३१५

दिनांक: 22/09/2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत खडलेख भनार मोटर मार्ग के कि०मी० १ से नैकाना बसोरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ३.१५ हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 176/X-3-20/1(19)/2020 दिनांक 14.02.2020

महोदय,

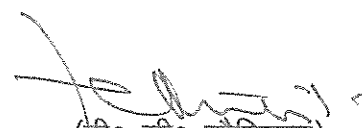
उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/29205/2017 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयवर्तित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रसंगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त सूचनाएं चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं मंडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 03.09.2020 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद - बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत खडलेख भनार मोटर मार्ग के कि०मी० १ से नैकाना बसोरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ३.१५ हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण का सीपे जान के बाद ही वन भूमि सीपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:
क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.30 हे० अवनत वन भूमि लीटी क०सं० 10 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहा तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।
ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
ग) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।
4. शुद्ध वर्तमान मूल्य
(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.15 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।
(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 98 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
6. State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.

7. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
8. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
9. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
11. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
12. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
14. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
15. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
16. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
17. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
18. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
19. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
20. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
21. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलबे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
22. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
23. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic-in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,


(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।


(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)